


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री विकाश कुमार वर्मा पिता- श्री महेश राम ग्राम: बिंगलात, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 49, ग्राम: बिंगलात, (शैती भूमि) खाता सं० 6; के अधीन प्लॉट सं०- 204, खाता सं०- 10; अधीन प्लॉट सं०- 58; खाता सं०- 2; अधीन प्लॉट सं०- 184, खाता सं०- 14; अधीन प्लॉट सं०- 112, 139, 421; खाता सं०- 6; अधीन प्लॉट सं०- 93, 13, 39, 41, 95, 33, 42, 100; एवं खाता सं०- 36; अधीन प्लॉट सं०- 126, 474, 633; कुल रकबा: -2.00 एकड़ (शैती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noticeempl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noticeempl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं माध्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रागुफ़ा), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

वि.सं.

  
07/09/2023